बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग।

पत्रांक–प्र०–06 / द०बि० नियम–03–02 / 2004– पटना, दिनांक–

प्रेषक,

अंजनी कुमार,
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित),
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० सहित),
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :– **संवेदक को निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किये जाने के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक–2131(s), दिनांक 13.03.2009

महाशय,

किसी निविदा प्रक्रिया में संवेदकों के भाग लेने की पात्रता का निर्धारण बीड डॉक्यूमेंट में निर्धारित मापदंड एवं बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के आधार पर किये जाने का प्रावधान है। संवेदकों को डिबार किये जाने के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निदेशानुसार निम्नलिखित निदेश प्रभावी होंगे।

1. संवेदक द्वारा आवंटित कार्य को प्रारंभ नही करने / पूरा करने में विलंब करने / अधूरा छोड़ने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता विस्तृत साक्ष्य सहित प्रतिवेदन संबंधित संवेदक के निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

2. निबंधन पदाधिकारी संबंधित संवेदक से बीड डॉक्यूमेंट / एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के तहत निर्धारित दण्ड प्रावधान सहित पृच्छा करेंगे। सूचना का अग्रसारण संवेदक को उनके द्वारा समर्पित पंजीकृत दस्तावेज में दर्ज सभी माध्यमों से की जाए।

3. निबंधन पदाधिकारी द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा उत्तर प्राप्त होने के उपरांत इसके गुण–दोष की समीक्षा 15 दिनों के अन्दर की जाएगी। संवेदक से कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में अधिकतम दो बार 15 दिनों के अन्तराल पर स्मारित किया जायेगा।

4. निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में की गयी समीक्षा की प्रति संवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके संबंध में संवेदक अपना पक्ष एक सप्ताह के अन्दर संबंधित निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। अन्यथा यह माना जाएगा की संवेदक को अपने पक्ष में अग्रतर कुछ भी नहीं कहना है।

5 संवेदक से प्राप्त कारण पृच्छा उत्तर एवं साक्ष्यों के आधार पर निबंधन पदाधिकारी अथवा जिस पदाधिकारी के अधीन / पर्यवेक्षण में निबंधन पदाधिकारी कार्यरत हो, के द्वारा सकारण आदेश पारित किया जाएगा।

CamScanner

6. पारित सकारण आदेश की प्रति संबंधित संवेदक को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाए।

7. दण्ड निर्धारण होने की स्थिति में सकारण आदेश में दण्ड की अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

8. दिए गए दण्ड के विरुद्ध संवेदक द्वारा 30 दिनों के अन्दर संबंधित विभागीय सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव के समक्ष अपील किया जा सकेगा।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक आदेश को निरस्त करते हुए इस संबंध में निर्गत पूर्व के विभागीय आदेशों को वर्णित हद तक संशोधित किया जाता है।

उक्त निदेशों पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

(अंजनी कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–06/द०बि० नियम–03–02/2004– 7356(S) पटना, दिनांक 19.12.23

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन) के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अंजनी कुमार 19/12/23
(अंजनी कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

19/12/23